

डॉ. महेन्द्रसिंह बनाम लो.सू.अ. (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर)

नं० व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

सू.अ.अ. अपील संख्या 33/2020

26.02.20

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी डॉ. महेन्द्रसिंह तंवर, पता प्लॉट नं. 628, हनवंत ए, सेक्टर, बी.जे.एस. कॉलानी, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 03.12.2019 में उसके द्वारा (1) माननीय राज. उच्च न्यायालय के डी.बी. सिविल रिट याचिका (PIL) संख्या 13359/2012 इन्टेक बनाम राजस्थान राज्य में दिये गये अवमानाना आदेश की प्रति देने के लिए उनके द्वारा जिला कलक्टर एवं जिलामजिस्ट्रेट जोधपुर को एक पत्र क्रमांक INTACH /2018/ F/ 2675 dated 01.09.2018 लिखा गया, उस पर की गई कार्यवाही की विस्तृत जानकारी, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पों.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थीपक्ष अनुपस्थित।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पों.(अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से आज दिनांक तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के बारे में प्रार्थी को 15 दिवस में उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।